

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
केम्प कोर्ट घाणामगरा

व इजलास हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादी

संग्रामराम पुत्र चिमनाराम
उम्र 40 वर्ष, जाति जाट
निवासी रावनियाना
तहसील पीपाडशहर
जिला-जोधपुर

1. हेमाराम पुत्र लूम्बाराम
जाति जाट निवासी-
घाणामगरा, तहसील बिलाड़ा
जिला-जोधपुर
2. शेराराम पुत्र गुदड़राम
जाति जाट निवासी
घाणामगरा तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती

राजस्व वाद संख्या :- 01/2017

निर्णय

दिनांक :- 22.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 36 बीघा 02 बिस्वा के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज सगराम पुत्र चिमनाराम के स्थान पर संग्रामराम पुत्र चिमनाराम की खातेदारी की घोषित की जाती है।



सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
जिला-जोधपुर

तीज -

बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व उपखण्ड अधिकारी आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.06.2017 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुकमनामा			बाबत् हुराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
जिला-जोधपुर